

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012—आश्विन 6, शक 1934

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ग)

#### अन्तिम नियम

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई) 40-88-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में,—

(एक) उपनियम (2) में, अंक तथा कोष्ठक “56(3)” के स्थान पर, अंक तथा कोष्ठक “56(2)” स्थापित किये जाए;

(दो) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, मूलभूत नियमों के नियम 56(2) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के प्रति निर्देश का यह अर्थ

लगाया जाएगा कि उपनियम (2) के अधीन की शक्तियों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय, सेवा के किसी सदस्य की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रयोजन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित मूलभूत नियमों के नियम 56(2) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम, 42(1) (ख) में अंतर्विष्ट शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा।”

F. No. 17 (E)40-88-XXI-B (one).—In exercise of the powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the High court, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, Namely:—

#### AMENDMENT

In the said Rules, in rule 14,—

- (i) in sub-rule (2), for the figures and bracket “56(3)”, the figures and bracket “56(2)” shall be substituted;
- (ii) after sub-rule (2), the following explanation shall be added, namely:—

“**Explanation.**—For the purpose of this rules, reference to the provisions contained in rule 56(2) of the Fundamental Rules and rule 42(1) (b) of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976 shall be construed to mean that in addition to the powers under sub-rule (2), the High Court may also exercise powers contained in rule 56(2) of the Fundamental Rules and rule 42(1) (b) of the Madhya Pradesh Civil Services (pension) Rules, 1976 as amended from time to time, for the purpose of compulsory retirement of a member of the service.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

#### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. एफ 16-5-2012-सात-शाखा-2-ए.—मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 26 वर्ष 1970) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 105-3114-सात-सा-एन-1, दिनांक 6 जनवरी, 1971 द्वारा, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में, दिनांक 28 मई, 1971 को प्रकाशित हुई थी, बनाए गए नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, अंक तथा शब्द “31 दिसम्बर, 1983” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “31 दिसम्बर, 2014” स्थापित किए जाएं.
2. प्ररूप-क में, कंडिका 3 में, उप कंडिका (4) और (5) में, अंक तथा शब्द “23 जून, 1980” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “31 दिसम्बर, 2011” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. एफ 16-5-2012-सात-शाखा-2-ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 16-5-2012-सात-शा. 2 ए, दिनांक 22 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> September 2012

F. 16-5-2012-VII-S-2-A.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhinyam, 1970 (No. 26 of 1970), the State Government, hereby, makes the following amendments in the rules made by this department's notification No. 105-3114-VII-N-1, dated 6<sup>th</sup> January, 1971 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 28th May, 1971, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 3, for the figure, letter and words “31<sup>st</sup> December, 1983”, the figure, letter and words “31<sup>st</sup> December, 2014” shall be substituted.
2. In Form-A, In Para 3, in sub-para (4) and (5), for the figures, letters and words “23<sup>rd</sup> June, 1980”, the figures, letters and words “31<sup>st</sup> December, 2011” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
AJIT KESARI, Secy.